## <u>न्यायालयः—शरद जोशी न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी अंजङ्</u> <u>जिला—बङ्वानी (म०प्र०)</u>

आर.सी.टी. नं. 360 / 2016 आपराधिक प्रकरण कमांक 486 / 2016 संस्थित दिनांक 08.08.2016

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द, ठीकरी, जिला—बड़वानी म0प्र0

----अभियोगी

#### वि रू द्ध

- ओम पिता रूखिडया आयु 20 वर्ष,
  निवासी नवलपुरा जरवाय थाना ठीकरी,जिला—बडवानी म0प्र0।
- रुखडिया पिता बाबुसिंह डावर, आयु 47 वर्ष,
  निवासी नवलपुरा जरवाय थाना ठीकरी जिला बडवानी म0प्र0।
- दिनेश पिता बाबुसिंह डावर, आयु 40 वर्ष,
  निवासी नवलपुरा जरवाय थाना ठीकरी जिला बडवानी म0प्र0।

----अभियुक्तगण

राज्य द्वारा	_	श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.पी.ओ.।
अभियुक्त द्वारा	_	श्री संजय गुप्ता ।

#### -: निर्णय:-

## (आज दिनांक 11.04.2018 को घोषित)

अभियुक्तगण के विरूद्ध भा०द०सं० की धारा 294,324 (2—शीर्ष) 323,(2—शीर्ष), एवं 506 भाग—2 का आरोप इस आधार पर है कि, उन्होंनें दिनांक 10. 06.2016 को फरियादी के घर के सामने ग्राम नवलपुरा जरवाय में समय लगभग 08:00 बजे फरियादी सरजुबाई को मां, बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने

वालों को क्षोभ कारित किया, लात घुसों से मार कर स्वैच्छया साधारण उपहति कारित की तथा धारदार वस्तु चाकू से फरियादी सरजुबाई के बाये हाथ की कलाई पर एवं बीच बचाव करने आये उसके लकडे करण को दाए हाथ पर चाकू मार कर स्वैच्छया उपहति कारित की, व भयभीत करने के आशंय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

- प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि,फरियादी सरजुबाई व आहत् करण द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने के आधार पर अभियुक्तगण को भादसं० की धारा 294,323,(2-शाीर्ष), एवं 506 भाग-2 के अपराधों से दोषमुक्त किया गया है, व धारा 324 (2-शार्षि) भा.द.सं. के अंतर्गत विचारण जारी रखा गया है।
- अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दि० 10.06.2016 को समय लगभग 08:00 बजे फरियादी सरजुबाई ने उसके मकान के सामने पंचायत से नल कनेक्शन ले रखा है, और वह उसी नल पर पानी भर रही थी। पानी भर के अपने घर पर बर्तन रखने गई तब उसके मोहल्ले का पडोसी ओम पिता रूखडिया आया व उसके नल को बंध कर दिया। ओम का मकान बंध रहा है, ओम के मकान में पानी नहीं जाता है तब फरियादी ने ओम से बोला कि, तुने मेरा नल क्यो बंद कर दिया है, तब ओम उसे नंगी नंगी मादर चोद बहन चोद की गालिया देने लगा और बोला की तू मेरा क्या उखाड लेगी, फरियादी ने उसे गालिया देने से मना किया तो ओम ने उसके बाल पकड कर लात घुसों से मारपीट की इतने में दिनेश पिता बाब्सिंह भी वहां आ गया उसके हाथ में पत्थर था, पत्थर उसके दाहिने गाल के उपर मारा। बाद में झगडे की आवाज स्नकर दिनेश का भाई रूखडिया दौडकर आया व उसके हाथ में चाकू था। चाकू से फरियादी के बाये हाथ की कलाई में मारा खून निकलने लगा तब वहं चिल्लाई तो उसका पति हिरालाल व लडका करण दौडकर आये। झगडे का बीच बचाव किया झगडे में उसके लडके करण को भी दाहिने पांव में चोट आई थी। वह सभी जाते जाते बोल रहे थे कि, आज तो बच गये किसी दिन जान से खत्म कर देगे फिर फरियादी अपने पति हिरालाल लडके करण को साथ लेकर थाना रिपोर्ट के लिये गयी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर से अपराध कं0 191 / 16 पंजीबद्ध किया तथा नक्शा मौका बनाया गया। जप्ती पंचनामा बनाया गया साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। सम्पूर्ण विवेचना के उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
- अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के विद्वान पीठासीन अधिकारी श्रीमती वंदना राज पाण्डेय्, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा

अभियुक्तगण के विरूद्व धारा 294,323(2-शीर्ष),324(2-शीर्ष) व 506 भाग-2 भा.द.सं. का आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं०प्र0सं० के परीक्षण में अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होकर झुठा फंसाया जाना व्यक्त किया है,किन्तु बचाव में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये हैं।

- प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि:-5.
- क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 10.06.2016 को समय 08:00 बजे 1. स्थान फरियादी के घर के सामने ग्राम नवलपुरा जरवाह में,फरियादी सरजुबाई को धारदार वस्तु चाकू से बाये हाथ की कलाई पर एवं बीच बचाव करने आये उसके लड़के करण को दाये हाथ पर मारपीट कर स्वैच्छया साधारण उपहति कारित की?

## साक्ष्य विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार

- अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में साक्षीगण सरजुबाई (अ.सा. 1),करण (अ.सा.२), डॉ.नरेन्द्र शर्मा (अ.सा.३) व आर.के. वाजपेयी (अ.सा.४) के कथन कराये है। बचाव पक्ष द्वारा अपने पक्ष समर्थन में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं करया है।
- सर्वप्रथम यह विचार किया जाना है कि, क्या घटना दिनांक को फरियादी / आहत् सरजुबाई (अ.सा.1) व करण (अ.सा.2), को चोटे कारित हुई। इस संबंध में विचार करने पर फरियादी सरजुबाई (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि, जमीन पर पानी एवं कीचड होने से उसका पैर फिसल गया था. तथा वहां पर रखे तपेले की नोक उसके हाथ पर लग गयी थी. जिससे उसे चोट आयी थी। पुलिस ने ठीकरी के सरकारी अस्पताल में उसका ईलाज करवाया था। साक्षी करण (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि, जमीन पर पानी व कीचड होने से उसकी मां सरजुबाई (अ.सा.1) का पैर फिसल गया था तथा वहां पर रखे ह्ये तपेले की नोक उनके हाथ पर लग गयी थी। जिससे उसे चोट आयी थी। अभियुक्तगण ने उसके साथ मारपीट नहीं की थी। बीच बचाव करने में उसके पैर में चोट आयी थी।

## आर.सी.टी. नं. 360 / 2016 / / 4 / / <u>आपराधिक प्रकरण कमांक 486 / 2016</u> संस्थित दिनांक 08.08.2016

- 8. साक्षी डॉ. नरेन्द्र शर्मा(अ.सा.3) ने अपने कथन में बताया है कि, वह दिनांक 11.06.2016 को सी.एस.सी. ठीकरी में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ था, उक्त दिनांक को आहत् करण पिता हिरालाल भील को मेडिकल परीक्षण हेतु थाना ठीकरी के आरक्षक सुरेन्द्रसिंह नं. 281 लेकर आया था, आहत् का परीक्षण करने पर उसे सीधे हाथ के पंजे एवं कोहनी के बीच वाले भाग पर चमडी पर धारदार वस्तु से चमडी की गहरायी तक जिसका आकार  $1/1/2 \times 1/8$  थी, व सीधे पाव की जांघ पर दर्द एवं सूजन था, जिसका आकार 3 इंच  $\times$  1 इंच का था,व बाये पैर की जांघ पर दर्द व सूजन था, जिसका आकार  $2/1/2 \times 1/1/2$  का था। उक्त चोटे किसी सख्त एवं बोथरी वस्तु से आना प्रतीत होकर उनके परीक्षण के 6 घंटे के भीतर की चोट थी, इस संबंध में उनके द्वारा दी गयी परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0 5 है।
- 9. उक्त दिनांक को उक्त आरक्षक द्वारा आहत् सरजुबाई पित हिरालाल को लेकर आया था, जिसका परीक्षण करने पर उसे बाये हाथ की कोहनी के नीचे धारदार चोट थी, जो चमडी की गहरायी तक थी, जिसका आकार 3 x 1/4 इंच का था,व सीधी आंख के नीचे सूजन, जिसका आकार 1/1/2 x 1 इंच की थी, व सीधी तरफ उक्त चोट किसी धारदार वस्तु से आना प्रतीत होती थी एवं अन्य चोट साधारण प्रकृति की थी। इस संबंध में उनके द्वारा दी गयी परीक्षण रिपोर्ट प्र. पी. 6 है। साक्षी डॉ. नरेन्द्र शर्मा (अ.सा.3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि, सीमेंटीकृत रोड पर गिरने से उक्तानुसार चोटे आना संभव है, व यह भी स्वीकार किया है कि, अंधेरे में दीवार से मृंह के टकराने से दांत टुटना संभव है।
- 10. बचाव पक्ष द्वारा फिरयादी / आहत् सरजुबाई (अ.सा.1), व करण (अ.सा. 2) को आयी हुयी चोटों के संबंध में दी गयी चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट को प्रतिपरीक्षण में कोई तात्विक चुनौती नहीं दी गयी है। प्र.सूचना प्रतिवेदन प्र.पी. 1 में भी फिरयादी के द्वारा चोटों का उल्लेख किया है। साक्षी सरजुबाई (अ.सा.1) व करण (अ.सा.2) के चोटों से संबंधित कथनों का समर्थन डॉ. नरेन्द्र शर्मा (अ.सा.3) के कथनों से होता है। अतः बचाव पक्ष द्वारा फिरयादी / आहत्गण को आयी हुयी चोटों के संबंध में कोई चुनौती न देने के कारण व फिरयादी सरजुबाई (अ.सा.1) व करण (अ.सा.2) व साक्षी डॉ. नरेन्द्र शर्मा (अ.सा.3) के कथनों से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि, उक्त दिनांक को फिरयादी / आहत्गण सरजुबाई (अ.सा.1) व करण (अ.सा.2) को चोटे आयी थी।
- 11. अब यह विचार किया जाना है कि, क्या उक्त चोटे अभियुक्तगण

, , , , , ,

के द्वारा फरियादी / आहत् सरजुबाई (अ.सा.1) व करण (अ.सा.2) को धारदार वस्तु चाकू से मार कर स्वैच्छया कारित की। फरियादी सरजुबाई (अ.सा.1) ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि, वह अभियुक्तगण को जानती है। घटना लगभग डार्ढ माह पूर्व की है। उक्त साक्षी का अभियुक्तगण नल पर पानी भरने की बात को लेकर विवाद हुआ था, व जमीन पर पैर फिसलने के करण वहां पर रखे हुये तपेले की नोक से उसे चोटे आयी थी। अभियुक्तगण ने उसके साथ मारपीट नहीं की थी। उक्त साक्षी ने घटना की रिपोर्ट थाना ठीकरी पर की थी। अभियोजन ने उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जा सकने वाले प्रश्न पूछे गये व साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि, अभियुक्त रूखडिया ने उसे चाकू बाये हाथ की कलाई पर मार दिया था व इस बात से भी इंकार किया है कि, अभियुक्तगण ने उसके साथ पत्थर तथा लात मुक्कों से मारपीट की, व इस बात से भी इंकार किया है कि, साक्षी ने अपने रिपोर्ट प्र0पी0 1 में लिखायी गयी बात से भी इंकार किया है कि, व पुलिस कथन प्र.पी. 3 में लिखी गयी बात देने से भी इंकार किया है, व यह स्वीकार किया है कि, अभियुक्तगण से उसका राजीनामा हो गया है। अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि. पानी के कीचड में उसका पैर फिसलने से वह गिर गयी थी, इस कारण उसे तपेले की नोक लगने से उसे हाथ में चोट आयी थी, वह यह स्वीकार किया है कि, अभियुक्त रूखडिया ने उसे चाकू नहीं मारा था ।

साक्षी करण (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि, वह अभियुक्तगण को जानता है, फरियादी सरजुबाई (अ.सा.1) उसकी मां है। ६ ाटना लगभग डेढ वर्ष पूर्व की है, नल पर पानी भरने की बात को लेकर विवाद हुआ था। अभियुक्तगण उसकी मां के साथ लडाई झगडा कर रहे थे। जमीन पर पानी व कीचड होने से उसकी मां का पैर फिसल गया था, तथा वहां पर रखे हुये तपेले की नोक उनके हाथ पर लग गयी थी, जिससे उसे चोट आयी थी। अभियुक्तगण ने साक्षी करण के साथ कोई मारपीट नहीं की थी। बीच बचाव करने में साक्षी के पैर में चोट आयी थी। अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जा सकने वाले प्रश्न पूछे गये। जिसमें साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि, अभियुक्त रूखिडया ने उसकी मां को चाकू बाये हाथ की कलाई पर मार दिया था, वह यह भी अस्वीकार किया है कि, अभियुक्त रूखडिया ने उसके दाहिने पैर पर चाकू मार दिया था, इस बात से भी इंकार किया है कि, अभियुक्तगण ने उसके साथ पत्थर तथा हाथ मुक्को से मारपीट की थी। पुलिस कथन प्र0पी0 4 में जो बात बतायी थी, उससे भी साक्षी ने इंकार किया है, व यह स्वीकार किया है कि, अभियुक्तगण का उससे राजीनामा हो गया है। बचाव पक्ष द्वारा भी साक्षी सरजुबाई (अ.सा.1) व करण (अ.सा.2) का प्रतिपरीक्षण नहीं किया है, क्योंकि उक्त साक्षीगण द्वारा अभियोजन कहानी का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है।

- साक्षी आर.के. वाजपेयी (अ.सा.4) जो की घटना की अनुसंधानकर्ता है। उक्त साक्षी ने अपने कथन में बताया है कि,वह दिनांक 11.06.2016 को पुलिस थाना ठीकरी पर उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ थे, उक्त दिनांक को उन्हें थाना ठीकरी के अपराध कं0 191 / 16 अंतर्गत धारा 294,323,506 / 34 भा.द.सं. की प्रथम सूचना प्रतिवेदन अभियुक्तगण ओम भील,दिनेश भील एवं रूखडिया भील निवासी नवलपुरा जरवाय के विरूद्ध विवेचना हेत् प्राप्त ह्यी थी। विवेचना के दौरान सरजुबाई की निशादेही से घटना स्थल का नक्शामीक प्र.पी. 2 का बनाया था, उनके द्वारा सरजुबाई, हिरालाल, करण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। उनके द्व ारा दिनांक 15.06.2016 को अभियुक्त रूखिडया के द्वारा पेश करने पर एक स्टील के चाकू को जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 7 का बनाया था, चिकित्सक द्वारा आहत्गण करण एवं सरजुबाई के चिकित्सकीय प्रतिवेदन में धारदार वस्तु से चोट आयी होने का लेख किया था। प्रकरण में अनुसंधान के दौरान धारा 324 भा.द.सं. का इजाफा किया गया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि, प्र0पी0 7 में जप्त जैसा चाकू बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। उक्त साक्षी के कथन प्रतिपरीक्षण में अखंडनीय रहे है। उक्त साक्षी ने घटना की कार्यवाही के संबंध में अपनी साक्ष्य दी है।
- फरियादी साक्षी सरजुबाई (अ.सा.1) व करण (अ.सा.2) ने अभियोजन कहानी का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है, व अभियुक्तगण के द्वारा ही चोटे कारित की गयी थी, इस संबंध में कोई कथन नहीं दिये है। साक्षी आर.के. वाजपेयी (अ.सा.4) ने अनुसंधान में की गयी कार्यवाही के संबंध में कथन किये है, चुंकि प्रकरण में फरियादी / आहतगण स्वंय ने घटना का समर्थन नहीं किया है। विवेचना अधिकारी की साक्ष्य औपचारिक स्वरूप की रह जाती है। अतः साक्षी आहत् सरजुबाई (अ.सा.1) व करण (अ.सा.2) के द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करने के कारण अभियुक्तगण के विरूद्ध दोषसिद्धि का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।
- राजीनामा होने के कारण किसी अन्य साक्षी का कथन अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया हैं। ऐसी स्थिति में जबिक प्रकरण के फरियादी / आहतगण ने अभियुक्तगण से राजीनामा किया हैं तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई भी कथन नहीं किये है तो अभियुक्तगण के विरूद्ध भादस0ं की धारा 324 (2-शाीर्ष) का अपराध या अन्य कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध दोषसिद्धि के संबंध में कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता हैं।
- उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि, अभियोजन अपना मामला अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः यह न्यायालय अभियुक्तगण ओम पिता रूखडिया,रू खिडया पिता बाब्सिंह एवं दिनेश पिता बाब्सिंह को भा0द0सं0 की धारा 324 (2-शािषं) के अपराध से दोषमुक्त करता हैं।

# //7//

## आर.सी.टी. नं. 360 / 2016 आपराधिक प्रकरण कमांक 486 / 2016 संस्थित दिनांक 08.08.2016

- 18. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।
- 19. प्रकरण में जप्तशुदा एक स्टील का चाकू अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में नष्ट की जाए। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।
- **20**. अभियुक्तगण के अभिरक्षा में रहने के संबंध में भादसoं की धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

सही/-

सही / –

(शरद जोशी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड, जिला बडवानी (शरद जोशी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड, जिला बडवानी